प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक, निदेशक, आई0जी0आई0सी0 एवं प्राचार्य, पटना दंत चिकित्सा महाविद्यालय के साथ दिनांक–27.06.2018 एवं 11.07.2018 को 10:00 बजे (पूर्वाह्न) सम्पन्न समीक्षात्मक बैठकों की संयुक्त कार्यवाही :–

बैठक की उपस्थिति :– सूची संलग्न।

बैठक में सर्वप्रथम दिनांक–09.05.2018 को सम्पन्न पिछली बैठक में दिये गये निदेशों के अनुपालन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त बिन्दुवार निम्नांकित निर्णय लिए गए –

(1) **केन्द्रीयकृत लॉन्ड्री एवं केन्द्रीयकृत sterlization की स्थापना :–**

निगम द्वारा बताया गया कि केन्द्रीयकृत लॉन्ड्री की स्थापना किया जाना उपयुक्त होगा। बैठक में निगम के परामर्श के आलोक में केन्द्रीयकृत लॉन्ड्री व्यवस्था की स्थापना एन0एम0सी0एच0 से प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया, जहाँ से पी0एम0सी0एच0 टैग रहेगा। इसके आधार पर अन्य संस्थानों में इसकी स्थापना का निर्णय लिया जायेगा।

प्रबन्ध निदेशक, बी0एम0एस0आई0सी0एल0 द्वारा बताया गया कि केन्द्रीयकृत sterilization unit की स्थापना किया जाना उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि इससे उपकरणों के संधारण एवं समयबद्ध उपलब्धता में कठिनाई होगी। उपस्थित सभी प्राचार्यों एवं अधीक्षकों द्वारा भी इस कथन का समर्थन किया गया। अधीक्षकों द्वारा बताया गया कि वर्तमान में भिन्न मेडिकल कॉलेजों में sterilization के उपकरण भिन्न भिन्न अवस्था में हैं और उनके कार्य क्षमता का ऑडिट कराया जाना आवश्यक है। यह ऑडिट करायें जाने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालनः–BMSICL, पटना)

(2) **RADIATION SAFETY AUDIT :–**

CARE के Consultant Mr. Joseph द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों का दौरा कर लिया गया है और प्रतिवेदन विभाग को समर्पित कर दिया गया है। निदेश दिया गया कि विद्यमान त्रुटियों के निवारण हेतु विभाग स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाय जिसमें उन सभी विभाग के विभागाध्यक्ष भाग लेंगे जहाँ विकिरण संबंधित कार्य किया जाता है।

(अनुपालनः– संयुक्त सचिव–I एवं श्री जोसफ)

(3) **PMSSY फेज–IV– पी0एम0सी0एच0 एवं पटना विश्वविद्यालय के मध्य भूमि हस्तांतरण का मामला :–**

प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना द्वारा सूचित किया गया कि कुलपति पटना विश्वविद्यालय से मिलने पर उन्हें बताया गया कि सिनेट की स्वीकृति प्राप्त करते हुए दिनांक–31.07.2018 तक भूमि हस्तांतरण पर सहमति प्रदान किये जाने की संभावना है। बैठक में प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय को निदेशित किया गया कि कुलपति पटना विश्वविद्यालय से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर कार्रवाई पूर्ण कराने हेतु अनुरोध करें।

(अनुपालनः– प्राचार्य, पी0एम0सी0एच0)

(4) **आई0जी0आई0सी0 को स्वायत्तता :–**

निदेशक, आई0जी0आई0सी0 एवं प्राचार्य पी0एम0सी0एच0 द्वारा 15 (पन्द्रह) दिनों में प्रतिवेदन समर्पित करने का आश्वासन दिया गया। दोनों संस्थानों के बीच विचारों की भिन्नता के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई और उसे दूर करते हुए अनिवार्य रूप से 15 दिनों के अंदर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– निदेशक, आई0जी0आई0सी0, पटना एवं प्राचार्य, पी0एम0सी0एच0)

(5) **"अमृत योजना" का क्रियान्वयन :–**

समीक्षा में पाया गया कि सभी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा जगह उपलब्ध करा दिया गया है किन्तु एच0एल0एल0 द्वारा कार्य शुरू नहीं किया गया है। राज्य औषधि नियंत्रक को निदेशित किया गया कि एच0एल0एल0 से संपर्क कर कार्य शीघ्र शुरू करायें। साथ ही निदेशित किया गया कि प्रधान सचिव स्तर से एच0एल0एल0 के सी0एम0डी0 को इस संबंध में कार्रवाई हेतु पत्र भेजें।

(अनुपालनः– राज्य औषधि नियंत्रक)

(6) **आई बैंक की स्थापना :–**

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में आई बैंक की स्थापना की दिशा में हुई अद्यतन प्रगति से डॉ0 आजाद हिन्द प्रसाद द्वारा अवगत कराया गया। विभाग द्वारा सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में आई बैंक की शुरूआत हेतु 1 जुलाई 2018 की समय सीमा तय की गई थी किन्तु समीक्षा से ज्ञात हुआ कि किसी भी संस्थान में इस समय सीमा में आई बैंक शुरू करना संभव नहीं है जिसपर प्रधान सचिव द्वारा खेद प्रकट किया गया। निगम के महाप्रबन्धक गण से विमर्शोपरान्त आई बैंक की सुविधा प्रारम्भ करने हेतु समय सीमा पुनः निर्धारित की गई जो निम्नवत् है :–

क्रमांक	संस्थान का नाम	समय सीमा
1	पी0एम0सी0एच0, पटना	31.07.2018
2	ए0एन0एम0सी0एच0, गया	31.08.2018
3	डी0एम0सी0एच0, दरभंगा	31.08.2018
4	एस0के0एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर	31.08.2018
5	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया	31.08.2018
6	जे0एल0एन0एम0सी0एच0	31.07.2018
7	वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी	31.08.2018
8	एन0एम0सी0एच0, पटना	31.12.2018

समीक्षोपरान्त निदेश दिया गया कि वैसे मशीन एवं उपस्कर जो रूपये पाँच लाख से कम लागत की हैं उनका क्रय संस्थान के स्तर पर ही किया जायेगा। इससे अधिक लागत के मशीन एवं उपकरणों का क्रय BMSICL, पटना द्वारा किया जायेगा।

आई बैंक हेतु आवश्यक पदों के संदर्भ में सभी संस्थानों को समीक्षोपरान्त समग्र प्रस्ताव विभागीय स्तर पर ही निर्धारित कर पद सृजन की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

संयुक्त सचिव प्रशाखा–1 को निदेशित किया गया कि वे स्वंय भी इसकी समीक्षा नियमित तौर पर करें तथा समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

(अनुपालनः– संयुक्त सचिव–I, डॉ0 आजाद हिन्द प्रसाद, बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना एवं प्राचार्य/अधीक्षक, सभी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल)

(7) **सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 की स्थापना :–**

प्राचार्य राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया द्वारा सीटी स्कैन हेतु जगह BMSICL, पटना को उपलब्ध करा दिया गया है। समीक्षा के क्रम में सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटी स्कैन और एम0आर0आई0 के अधिष्ठापन की विस्तृत समीक्षा की गई। इस संबंध में निगम द्वारा निम्नवत् समय सीमा के अन्तर्गत अधिष्ठापन पूर्ण कराने का आश्वासन दिया गया।

क्रमांक	संस्थान का नाम	सीटी स्कैन	एम0आर0आई0
1	एन0एम0सी0एच0, पटना	कार्यरत	कार्यरत
2	ए0एन0एम0सी0एच0, गया	18 सितम्बर तक अधिष्ठापित होने की संभावना है।	13 जुलाई को तकनीकी निविदा खुलेगी
3	डी0एम0सी0एच0, दरभंगा	कार्यरत	अधिष्ठापित
4	एस0के0एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर	कार्यरत	एकल निविदा बोर्ड से स्वीकृति की प्रक्रिया में 20 जुलाई तक बैठक संभावित है।
5	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया	जगह उपलब्ध करा दिया गया है। अगस्त माह के अंत तक	जगह वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।
6	वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी	7 अगस्त तक अधिष्ठापन संभावित है।	13 जुलाई को तकनीकी निविदा खुलेगी

बेतिया, गया एवं पावापुरी में सीटी स्कैन की स्थापना की दिशा में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया ताकि एम0सी0आई0 आपत्ति का ससमय निराकरण हो सके।

प्राचार्य, ए0एन0एम0सी0एच0, गया द्वारा विभाग को सीटी स्कैन मशीन के संचालन हेतु अलग से ट्रान्सफरमर अधिष्ठापन हेतु समर्पित प्राकलन की स्वीकृति एवं आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। प्रधान सचिव द्वारा प्रशाखा–1 को इस संबंध में कार्रवाई शीघ्र करने का निदेश दिया गया तथा निगम को निदेशित किया गया कि भविष्य में ऐसे सभी उपकरण/युनिट/भवन जिसके लिए अलग से ट्रान्सफरमर की आवश्यकता हो उसकी लागत भी मूल प्राक्कलन में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाय।

(अनुपालनः– BMSICL, पटना, प्रशाखा–1)

(8) **HRIS PORTAL :–**

प्रधान सचिव द्वारा सभी को अवगत कराया गया कि कतिपय कारणों से विभाग के अन्तर्गत सभी मानव संसाधन से संबंधित विवरणी एच0आर0आई0एस0 के बजाय एच0एम0आई0एस0 (मानव संपदा) पर प्रविष्ठ कराने का नीतिगत निर्णय लिया गया है और विभाग के स्तर पर इस प्रयोजन हेतु स्टीयरिंग

समिति का गठन किया गया है जो इसके ससमय कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी। सभी प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु 31 मार्च 2019 की समय सीमा तय करते हुए सभी संबंधित को निदेशित किया गया।

(अनुपालनः– सभी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, विभागीय स्टीयरिंग कमिटी एवं केयर)

(9) **VC facility between medical colleges and live telecast of OT in LT :–**

BMSICL, पटना द्वारा विस्तृत प्राक्कलन समर्पित किया गया एवं प्रबन्ध निदेशक बी0एम0एस0आई0सी0एल0 द्वारा सूचित किया गया कि प्राक्कलन में अंकित राशि प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय में दिये जाने वाले नोड की संख्या पर भी निर्भर करेगा जिस संबंध में अलग से विभागीय स्तर पर समीक्षा कर प्रस्ताव तैयार करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– प्रशाखा–1 एवं BMSICL, पटना)

(10) **PMSSY फेज–IV – आवश्यक पदों का सृजन :–**

PMSSY फेज–IV से संबंधित सभी चिकित्सा महाविद्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त है। निदेशित किया गया कि शीघ्र पद सृजन एवं नियुक्ति की कार्रवाई दिसम्बर 2018 के पूर्व करा ली जाय।

(अनुपालनः– प्रशाखा–1 एवं 17)

(11) **MCI द्वारा इंगित त्रुटियों/आपत्तियों के निराकरण हेतु :–**

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में एम0सी0आई0 आपत्तियों का किस प्रकार सहजता से निराकरण किया जा सकता है, के बिन्दु पर गुजरात से आये विशेषज्ञ डॉ0 मेहता द्वारा प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया गया। डॉ0 मेहता द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालवार एम0सी0आई0 द्वारा संसूचित कमियों के निराकरण हेतु आवश्यक मार्ग दर्शन प्रदान किया जायेगा जिसमें सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के प्राचार्य/अधीक्षकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने का निदेश दिया गया।

निर्णय लिया गया कि प्रथम चरण में सभी चिकित्सा महाविद्यालयों का MCI की तर्ज पर छद्म निरीक्षण आंतरिक एवं बाह्य निरीक्षकों का दल गठित कर कराया जायेगा एवं इस छद्म निरीक्षण के माध्यम से ज्ञात त्रुटियों एवं कमियों के निराकरण हेतु संबंधित विभागाध्यक्ष को जिम्मेदारी सौंपी जायेगी जो महाविद्यालय के प्राचार्य और विभाग से संमन्वय स्थापित करते हुए कमियों का दूर करायेंगे। इसके उपरान्त विभाग के स्तर से एम0सी0आई0 की भांति औचक निरीक्षण कराया जायेगा।

(अनुपालनः– डॉ0 मेहता (केयर), प्राचार्य/अधीक्षक, सभी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल)

(12) **चिकित्सा महाविद्यालयों में पी0जी0 सीटों की अभिवृद्धि :–**

बैठक में महाविद्यालयावार प्राप्त राशि, भेजे गये उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं पी0जी0 सीटों के अभिवृद्धि की समीक्षा की गई। ज्ञात हुआ कि अभी तक प्राप्त राशि पूर्ण रूप से व्यय भी नहीं की गई है तथा सभी महाविद्यालय मिलाकर कुल 199 पी0जी0 सीट के वृद्धि के लक्ष्य के विरूद्ध अद्यतन मात्र 48 सीटों का सृजन

हुआ है। राज्य के सभी छः पुराने चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों को पी0जी0 सीटों के अभिवृद्धि के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अविलम्ब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया और भारत सरकार से प्राप्त राशि के अनुरूप कुल 199 सीटों की अभिवृद्धि हेतु सभी प्राचार्य को निदेश दिया गया कि वे व्यक्तिगत रूप से एम0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप विभागवार पी0जी0 सीटों में वृद्धि हेतु आवश्यकताओं का आकलन कर लें तथा इन आवश्यकताओं को विभागवार सूचिबद्ध कराकर एक प्रति विभाग को भी भेजें तथा मानकों के अनुरूप इन कमियों को दूर करायें।

(अनुपालनः– प्राचार्य/अधीक्षक,
सभी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल)

(13) राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में Grievance Redressal Cell, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्प्रीड़न के रोकथाम हेतु समिति, एन्टी रैगिंग समिति, अनुशासनिक समिति, एवं अन्य समितियों के गठन एवं नियमित बैठकें करने, चिकित्सक शिक्षकों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण पर जोर देने, Academic Calender बनाने एवं e-library विकसित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– प्राचार्य/अधीक्षक,
सभी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल)

(14) राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के प्राचार्यों एवं अधीक्षकों से अपने–अपने संस्थान के वेबसाइट को अपग्रेड एवं अपडेट करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– प्राचार्य/अधीक्षक,
सभी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल)

(15) नालंदा मेडिकल कॉलेज में कोकलियर इम्पलाण्ट हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना।

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि अधीक्षक, एन0एम0सी0एच0, अपने संस्थान में कोकलियर इम्पलाण्ट हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स स्थापित करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर पन्द्रह दिनों के अन्दर उपलब्ध करायेंगे साथ ही सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नाक कान गला विभाग में ऑर्डियोलॉजी एवं स्पीच थेरॉपीस्ट के पदों की आवश्यकता का आकलन करते हुए विभाग को प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे चूँकि अभी वर्तमान में किसी चिकित्सा महाविद्यालय में यह पद स्वीकृत नहीं है और इस वजह से श्रवण निशक्तता का प्रमाण–पत्र निर्गत करने में कठिनाई होती है। अधीक्षक, एन0एम0सी0एच0 द्वारा अनुरोध किया गया कि तात्कालिक रूप से एन0एम0सी0एच0 में एक ऑडियोलॉजी और एक स्पीच थेरापीस्ट का नियोजन राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कराया जाय जिसपर प्रधान सचिव द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

(अनुपालनः– डॉ0 चन्द्रशेखर, अधीक्षक NMCH)

(16) **चिकित्सा महाविद्यालयों में रेडियेशन फिजिसिस्ट के पदों की स्वीकृति**

श्री जोसफ द्वारा सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में रेडियेशन फिजिसिस्ट का पद होने की आवश्यकता बताई गई ताकि अस्पतालों में विकिरण से सुरक्षा संबंधी ए0ई0आर0बी0 के मानकों के अनुपालन का अनुश्रवण किया जा सके एवं सभी यू0जी0 एवं पी0जी0 छात्रों को भी इस संबंध में समुचित प्रशिक्षण दिया जा सके। बताया गया कि पी0एम0सी0एच0 में मेडिकल फिजिसिस्ट के पद नाम से चार पद स्वीकृत हैं जिसमें से तीन पद रिक्त हैं सभी महाविद्यालयों में पद स्वीकृत नहीं है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में मानकों के अनुरूप रेडियेशन फिजिसिस्ट के पद स्वीकृत कराये जाने की कार्रवाई की जाय एवं तत्काल रिक्त पदों पर नियमित तथा संविदागत नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की जाय।

(अनुपालनः– प्रशाखा–1)

(17) **पटना दंत चिकित्सा महाविद्यालय में उपकरणों की आवश्यकता**

पटना दंत चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा एम0सी0आई0 के आपत्ती के आलोक में डेन्टल वैन, डेन्टल चेयर एवं ओ0पी0जी0 की तत्काल आवश्यकता बताया गया है। उप महाप्रबन्धक बी0एम0एस0आईसी0एल0 द्वारा बताया गया कि डेन्टल वैन एवं डेन्टल चेयर की आपूर्त्ती निविदा प्राप्त एवं शीघ्र निविदा निष्पादित करते हुए उपलब्ध करा दी जायेगी। ओ0पी0जी0 मशीन हेतु सी0टी0 एवं एम0आर0आई0 की तर्ज पर पी0पी0पी0 के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– BMSICL एवं प्रशाखा–1)

(18) **चिकित्सा महाविद्यालयों में ग्रुप–3 एवं 4 के रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति**

सभी प्राचार्यों एवं अधीक्षकों को निदेशित किया गया कि अपने महाविद्यालयों में वर्ग–3 एवं 4 के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर विभाग को पन्द्रह दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि विभाग द्वारा समेकित रूप से विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति की प्रक्रिया करायी जा सके।

(अनुपालनः– सभी प्राचार्य/अधीक्षक)

(19) **चिकित्सा महाविद्यालयों में हाउस किपिंग सर्विसेज के अन्तर्गत बाह्य श्रोत से बिजली मिस्त्री प्लम्बर बायोमेडिकल इंजिनियर आदि की सेवायें देने के संबंध में।**

सभी प्राचार्य एवं अधीक्षकों के द्वारा अस्पताल एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में छोटे मोटे टूट–फूट एवं आवश्यक मरम्मती करने हेतु प्लम्बर, बिजली मिस्त्री इत्यादी की सेवाओं की नियमित रूप से आवश्यकता होती रहती है किन्तु उनकी उपलब्धता सही समय पर नहीं हो पाती है जिससे चिकित्सा सेवायें एवं पठन–पाठन संबंधी कार्य प्रभावित होता है।

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि ऐसे सभी आवश्यक सेवाओं हेतु मानव संसाधन बाह्य श्रोत से प्राप्त किया जाय और इनका भुगतान रोगी कल्याण समिति के कोष से किया जायेगा।

रोगी कल्याण समिति में समिति के कोष में राशि की समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि पूर्व में रोगी कल्याण समिति को सरकार की ओर से अनुदान के रूप में राशि दी जाती थी जो वर्तमान में नहीं दी जाती है और रोगी कल्याण समिति के कोष हेतु अन्य संसाधन भी सीमित हो गई है तथा उन्हें पुनः पुरानी व्यवस्था के तहत वार्षिक अनुदान की व्यवस्था शीघ्र की जाय।

(अनुपालनः– प्रशाखा–1, सभी प्राचार्य/अधीक्षक)

(20) चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में जगह की अनुपलब्धता

इस संबंध में समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि सभी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में बहुत सारे रद्द अथवा रद्दीकरण उपकरण एवं उपस्कर रखे हुए हैं जिनका समुचित निष्पादन से काफी मात्रा में खाली स्थान उपलब्ध हो सकते हैं। निदेश दिया गया कि बिहार वित्तीय नियमावली–2005 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए तथा इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्रांक 379 दिनांक 30.10.2008 तथा पत्रांक 23341 दिनांक 01.02.2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में कार्रवाई करें तथा ऐसे सभी रद्दी या रद्दीकरण सामाग्री का निष्पादन अभियान चलाकर तीन माह के अंदर सुनिश्चित करायें।

चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के संचालन हेतु बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद् से कन्सेन्ट टू ऑपरेट प्राप्त करने हेतु सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों को निदेशित किया गया।

(अनुपालनः– सभी प्राचार्य/अधीक्षक)

(21) चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में रक्त अधिकोष की अनुज्ञप्ति

समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि कई चिकित्सा महाविद्यालयों के रक्त अधिकोष की अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्ती पर है कई त्रुटियों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित होने के बावजूद अभी तक नवीकरण नहीं किया गया है इस संबंध में राज्य औषधि नियंत्रण को निदेशित किया गया कि सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के रक्त अधिकोष के अनुज्ञप्ति की स्थिति की समीक्षा करने एवं तद्नुसार चिकित्सा महाविद्यालयों से समन्वय स्थापित कर ससमय अनुज्ञप्ति का नवीकरण करना सुनिश्चित करें एवं इस संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

(अनुपालनः– राज्य औषधि नियंत्रक)

(22) **चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में अल्ट्रासाउण्ड एवं एक्स–रे मशीन की कमी।**

प्राचार्य, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया, प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, प्राचार्य, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय, पावापुरी, नालन्दा द्वारा बताया गया कि एम0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप उनके संस्थान में अल्ट्रासाउण्ड मशीन एवं एक्स–रे मशीन की संख्या कम है। महाप्रबन्धक बी0एम0एस0आई0सी0एल0 द्वारा बताया गया कि इस संबंध में निविदा निष्पदान अंतिम चरण में है जुलाई के अंत तक अल्ट्रासाउण्ड मशीन एवं अगस्त के अंत तक एक्स–रे मशीन की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जायेगी।

(अनुपालनः– BMSICL)

(23) **बी0एम0एस0आई0सी0एल0 द्वारा क्रय की गई सर्जिकल इम्पलान्ट का उपयोग।**

महाप्रबन्धक बी0एम0एस0आई0सी0एल0 द्वारा बताया गया कि पूर्व में बी0एम0एस0आई0सी0एल0 द्वारा कुछ इम्पलान्ट का क्रय किया गया था किन्तु उसका प्रयोग चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा नहीं किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि ऐसे सर्जिकल इम्पलान्ट की सूची तैयार कर बी0एम0एस0आई0सी0एल0 सभी चिकित्सा महाविद्यालयों को भेज दें एवं उस सूची में उपलब्ध इमप्लान्ट का प्रयोग सभी चिकित्सा महाविद्यालय सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः–सभी प्रार्चा/अधीक्षक, BMSICL)

(24) **शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM)**

SPM-NUHM, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से सभी प्राचार्य एवं अधीक्षकों को NUHM अन्तर्गत दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं, प्रशिक्षण, आउन्टरिच सेवा इत्यादि पर संवेदीकरण किया गया।

बैठक दौरान विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई तथा PSM dept./Community Medicine को मजबुत करते हुए NUHM हेतु Nodal dept. बनाने का सुझाव दिया गया है।

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण के उपरान्त निदेश दिया गया कि सर्वप्रथम पटना शहर में संचालित चिकित्सा महाविद्यालय यथा–PMCH, NMCH, IGIMS एवं AIIMS से समन्वय कर, एक नोडेल तैयार करें कि किस प्रकार चिकित्सा महाविद्यालय को NUHM के साथ जोड़ा जाए।

(अनुपालनः– SPM-NUHM एवं प्राचार्य/उपाधीक्षक/निदेशक PMCH, IGIMS, NMCH एवं AIIMS)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

23/7/2018
(संजय कुमार)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–1/विविध–14/2018– 8351(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 25/7/2018

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/7/2018
प्रधान सचिव